

THE CWC's DEFINED CONTRIBUTION SUPERANNUATING BENEFIT (PENSION) TRUST  
4/1, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016


Ph.011-40515643, Telefax-40515643  
E-mail: cwcensiontrust@yahoo.com

CWC/I-RO-PS/Pension/Finance Corres./Rectt.

Dated 11/10/2017

  
**CIRCULAR**

The Board of Trustees of CWC's Defined Contribution Superannuating Benefit (Pension) Trust has decided in Trust meeting held on 26/09/2017 that those members who leave the services of CWC due to Retirement/ Death/ VRS/ SVRS/Resignation may deposit voluntary contribution through their respective Salary Disbursing Units towards their respective Pension Fund Account to enhance their corpus of pension fund before the date of settlement of Pension Dues.

  
11/10/17


(Priya Gupta)  
Secretary (PT) / SAM (CR)


Distribution:

- 1) All Divisional Heads, CWC, CO, New Delhi
- ✓ 2) GM (Systems), CWC, CO, New Delhi for uploading the circular on CWC website.
- 3) All RMs/ Managers/ CFSs/ ICDs.
- 4) GM (F&A), CO, CWC, New Delhi

Copy to:-

SPA to Chairman/ PPS to MD/ AM to Dir.(Fin) / SAM to Dir.(Pers.)/ SPA to Dir.(MCP), CWC, CO, New Delhi.

  
12/10

  
CPK

# केंद्रीय भण्डारण निगम परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ (पेंशन) ट्रस्ट

4/1, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली -110016

फोन नंबर 011-40515643, टेलीफैक्स -40515643

ई-मेल: cwcensiontrust@yahoo.com

सीडब्ल्यूसी /पीडी-पीएस /पेंशन /ट्रस्ट मीटिंग /2017 (वॉल्यूम -2)

दिनांक: 11.10.2017

## परिपत्र

केंद्रीय भण्डारण निगम परिभाषित अंशदान सेवा-निवृत्ति लाभ (पेंशन) ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 26/09/2017 को आयोजित ट्रस्ट मीटिंग में निर्णय लिया है कि जो सदस्य रिटायरमेंट / मृत्यु / वीआरएस / एसवीआरएस / इस्तीफे के कारण निगम की सेवाएं छोड़ते हैं, वे अपने संबंधित वेतनभोगी इकाइयों के माध्यम से स्वैच्छिक योगदान उनके संबंधित पेंशन फंड खाते में पेंशन निधि को बढ़ाने के लिए पेंशन की बकाया राशि के निपटारे की तारीख से पहले जमा कर सकते हैं।

प्रिया गुप्ता  
11/10/17

(प्रिया गुप्ता)


सचिव (पीटी) / व. स. प्रबंधक(सीआर)

### वितरण:

- 1) सभी विभागाध्यक्ष, केंद्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली
- 2) महाप्रबंधक (प्रणाली), केंद्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली केभनि वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने हेतु।
- 3) सभी क्षेत्रीय प्रबंधक / प्रबंधक / सीएफएस / आईसीडी।
- 4) व. स. प्रबंधक (आरटीआई), केंद्रीय भण्डारण निगम, कार्मिक विभाग, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

### प्रतिलिपि :-

अध्यक्ष की वरिष्ठ निजी सहायक/ प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/ निदेशक (वित्त) के सहायक प्रबंधक/ निदेशक (कार्मिक) के व. स. प्रबंधक/ निदेशक (एमसीपी) के वरिष्ठ निजी सहायक, केभनि, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

  
Anand Kumar  
CPK  
12/10